



संदर्भ सं. राबैं.डोर / जी480 / पीपीएस - 178/ 2024-25



31 जुलाई 2024



परिपत्र सं. 147 / डोर - 26 / 2024

अध्यक्ष,
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया / प्रिय महोदय

LTRCF बुलेट पुनर्भुगतान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए - आस्ति कवरेज की निगरानी, ग्राउंड लेवल बकाया और पात्र गतिविधियाँ

कृपया हमारे 30.01.2024 के परिपत्र संख्या 13 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए LTRCF के तहत पुनर्वित्त के लिए बुलेट पुनर्भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों से प्राप्त अनुरोधों और ग्रामीण/कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी निर्माण के लिए RFIs की पहुंच को ध्यान में रखते हुए, NABARD ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए LTRCF के तहत बुलेट पुनर्भुगतान को लागू कर दिया है। LTRCF के तहत बनाई गई संपत्तियों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार आस्ति कवरेज प्रमाणपत्र पेश करने का निर्णय लिया गया है।

2. LTRCF के तहत दीर्घकालिक आस्ति कवरेज प्रमाणपत्र (LTACC):

बुलेट पुनर्भुगतान के बकाया की ग्राउंड लेवल पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि LTRCF के तहत बैंकों द्वारा लाभार्थियों को वितरित किए गए ऋणों का बकाया NABARD के LTRCF के तहत पुनर्वित्त बकाया से कम न हो। दीर्घकालिक संपत्तियों के बकाया राशि के साथ मेल सुनिश्चित करने के लिए, LTRCF के तहत एक दीर्घकालिक आस्ति कवरेज प्रमाणपत्र (LTACC), जिसे आपके बैंक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, तिमाही आधार पर संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) एक विशेष तिमाही के लिए LTACC को तिमाही के अगले महीने की 10 तारीख तक NABARD के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करें।

3. आस्ति कवरेज बनाए रखने के अलावा, बैंकों को LTRCF के तहत रियायती (concessional) फंड्स का उपयोग कृषि के तहत पात्र उद्देश्यों के लिए संपत्तियों के निर्माण में करना होगा। NABARD अपनी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आपके शाखाओं का दौरा करके नमूना आधार पर सालाना परीक्षण जांच करेगा।

4. LTRCF के तहत हमारे दिशानिर्देशों में सभी अन्य शर्तें और स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय

(डॉ.के.एस.महेश)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेल.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax: +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

अनुबंध 1

L1RCF के तहत दीर्घाधि रियायती परिसम्पत्ति समावेशन / करोज प्रमाणपत्र (एलटीसीएसीसी) श्रेणीय ग्रामीण बैंकों के लिए
30.06.2024 की स्थिति

तिमाही : जून 2024
बैंक का नाम :

प्रयोजन	फिक्सेड तिमाही के अंत में दिए गए रियायती उधार का बकाया	जिसमें से एलटीआरसीएफ बकाया है (बैंकों से लेकर पुनर्वित्त संबंधियों के उपरोक्तकर्ताओं तक)	तिमाही के दौरान संचित किए गए एलटीआरसीएफ की राशि	जिसमें से एलटीआरसीएफ बकाया है	तिमाही के दौरान की गई वसुलियाँ / वृद्धि	जिसमें से एलटीआरसीएफ	तिमाही के अंत में कुल एलटीआरसीएफ बकाया	उन्में से अतिरिक्त यदि कोई	तिमाही के अंत में कुल एलटीआरसीएफ बकाया	उन्में से अतिरिक्त यदि कोई	कोई अन्य रियायती रूप बकाया	नाबाई से दिए गए उधार पर एलटीसीएसीसी	कुल एलटीआरसीएफ बकाया	नाबाई से बैंक तक बकाया एलटीआरसीएफ रूप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							(2+4)-5		(3+5)-7			(10-11-12)	(8-9-12)	
दीर्घाधि कुम्बि, सबड और स्थापक गतिविधियाँ	200	50	40	20	10	5	230	5	65	2	5	58	228	
कुल														

यह प्रमाणित किया जाता है कि बैंक से उधारकर्ताओं को बकाया रूप करोड़ , नाबाई से बैंक को एलटीआरसीएफ बकाया रूप करोड़ से अधिक है और नाबाई से एलटीआरसीएफ के लिए पात्र गतिविधियों के लिए एलटीआरसीएफ के तहत रूप दिया जाता है

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर